FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE पाँच FIVE RUPEES पाँच रुपये

समआदरणीय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक- 2007-08 निगरानी R 516-II/08

1- धीसालाल पिता रतन जी, जाति भील
आयु-35 वर्ष, व्यवसाय-कृषि कार्य,
2- शंकरलाल पिता रतन जी भील, आयु-27वर्ष
3- धीसीबाई पत्नी लाभचन्द, आयु-25 वर्ष
4- प्रेम पिता लाभचन्द, आयु-10-12 वर्ष अवयस्क
द्वारा माता धीसीबाई
5- सुगनबाई पुत्री लाभचन्द आयु-15 वर्ष अवयस्क
द्वारा माता धीसीबाई समस्त निवासीगण -
पावटी, टप्पा जीरण, तह. जिला नीमच
---------- आवेकगण

श्री कैलाश जोशी
अभिभाषक द्वारा
उज्जैन कैम्प में प्रस्तुत
9/5/08

विरूद्ध

किशनलाल पिता भैरा जी, जाति भील,
आयु-60 वर्ष, व्यवसाय-कृषि कार्य,
निवासी-झांझरवाडा हाल मु. संजीवनी कॉलोनी
नीमच ----- अनावेदक

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नीमच के प्र0क्र0 23/अपील 2007-08 में पारित आदेश दिनांक - 16/4/2008 से असंतुष्ट एवं दुःखीत होकर उक्त निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत है ।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न-लिखित प्रस्तुत है :-

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

यह कि, अनावेदक के द्वारा श्रीमान् नायब तहसीलदार - महोदय नीमच के समक्ष म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 115-116 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि, आवेदक व अनावेदक के पिता सगे भाई होकर आवेदक किशनलाल के भाई रतन की मृत्यु हो चुकी है और प्रकरण

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-516-दो/08 **जिला** - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश जोशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	